न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
(बईजलारा : श्री चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2018

रायर दिनांक – 02.04.2018
फैसल दिनांक – 03.01.2019

अमृतलाल पिता वेलजी पटेल, उम्र 60 निवासी नेजपुर तहसील व जिला डूंगरपुर
प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रामजी पिता नाथु कुम्हार निवासी उपरगांव तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्रीमान् लेण्ड होल्ड जरिए तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज0)
अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति– 1. श्री अमृतलाल पंचाल, एडवोकेट – अपीलान्ट
2. श्री लालसिंह, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट सं.–एक

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलार्थी की ओर से विरूद्व विपक्षीगण के इस आशय की पेश की है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने जरिये मिसल नम्बर 217/2013 दिनांक 02.02.2013 को ग्राम उपरगांव की आ0 नं. 1119 रकबा 00–05 बीघा (नवीन कायम आ. नं. 3073/1119 रकबा 05 विस्वा) भूमि विपक्षी संख्या–1 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन से असन्तुष्ट होकर राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत भूमि आवंटन निरस्त कराने हेतु पेश की गई है।

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि विपक्षी संख्या–1 को उक्त आवंटित भूमि ग्राम उपरगांव की आ.नं. 3073/1119 रकबा 05 विस्वा भूमि पर प्रार्थी 15 वर्षो से काविज है तथा उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा माह जनवरी, 2013 में जे.सी.बी. से समतल कर उस पर परकोटा बनाने काश्त योग्य बनाने में एक लाख चालीस हजार रूपया का व्यय किया गया है। विवेचित भूमि पर समतल कराने के तत्पश्चात् परकोटा निर्माण करते वक्त विपक्षी आवंटी तथा अन्य किसी ने कोई आपत्ती जाही नहीं की गई। विवेचित भूमि विपक्षी आवंटी ने श्रीमती राधा पत्नि पूंजीलाल पटेल निवासी को विक्रय कर दी गई हैं। विवेचित भूमि की क्रेता श्रीमती राधा पटेल ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रयासरत हैं। विपक्षी रामजी पटवार मण्डल उपरगांव का ग्राम प्रतिहारी के रूप में कार्यरत हैं। विपक्षी ने प्रतिहारी के रूप में कार्यरत होने से इसका दुरूपयोग कर झुठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि आराजी नंबर 3073/1119 की 05 विस्वा भूमि छल–कपट कर आवंटन करा ली हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

विपक्षी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। पटवारी हल्क की गलत रिपोर्ट के आधार पर बीना जांच के विपक्षी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। प्रार्थी ने उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी को ग्राम उपरगांव की आराजी नंबर 3073/1119 में रकबा 05 बिस्वा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्रावली हैं।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस समायत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अंकित तथ्यों को तथा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.–1 ने जवाब के तथ्यों को पुनराव्यक्त किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवेचित आराजी नंबर 1119 में रकबा 05 बिस्वा (नवीन कायम आराजी नंबर 3073/1119 रकबा 05 बिस्वा) भूमि विपक्षी को विधि विरूद्ध कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई हैं। उक्त विवेचित भूमि पर प्रार्थी का विगत 15 वर्षो से कब्जा चला आ रहा हैं तथा इस भूमि को जे.सी.बी. से समतल करा उस पर पत्थरों का परकोटा बना काबिल काश्त बनाने में काफी रूपये खर्च किये हैं। विपक्षी आवंटी उपरगांव पटवार मण्डल के पटवारी का ग्राम प्रतिहारी हैं। विपक्षी ग्राम प्रतिहारी होने से विवेचित भूमि की पटवारी की गलत रिपोर्ट पर बिना जांच किये भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने उन्हें कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया जाना खारीज योग्य हैं। प्रार्थी का विवेचित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि विरूद्ध हैं। कृषि प्रयोजन हेतु निःशुल्क आवंटित भूमि को विक्रय करने का प्रावधान नहीं होने के तथ्य वकील प्रार्थी ने प्रकट किये। विपक्षी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पटवारी हल्का से मिलकर भूमि आवंटन कराया गया है जो विधि विरूद्ध होकर फ्रोड की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने विपक्षी को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.–1 ने बहस में बताया है कि विपक्षी को ग्राम उपरगांव की आ.नं. 1119 में रकबा 05 बिस्वा कृषि प्रयोजनार्थ किया गया भूमि आवंटन विधि अनुरूप हैं। विपक्षी का विवेचित भूमि पर भूमि आवंटन के पूर्व कब्जा काश्त था। कब्जे की पुष्टि में तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा 91 एल.आर.एकट के तहत विपक्षी को वर्ष 2007 से जारी किये गये नोटिस की प्रति व पेनाल्टी जमा कराने की रसीद पेश की है। इससे स्पष्ट है कि विवेचित भूमि पर विपक्षी आवंटी का कब्जा हैं। वकील विपक्षी ने कब्जे काश्त के आधार पर विपक्षी को विवेचित आराजी में 05 बिस्वा भूमि आवंटित की

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

जाना बताया। प्रार्थी को उक्त विवेचित भूमि पर कब्जा काश्त होने के कोई प्रमाण पेंश नहीं किये गये हैं जिससे प्रार्थी का विवेचित भूमि पर भूमि आवंटन होने से 15 वर्ष पूर्व का कब्जा होने के तथ्य प्रमाणित नहीं होना वकील विपक्षी ने प्रकट किया। आवंटित भूमि के कब्जे काश्त के आधार पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं। खातेदारी भूमि की विपक्षी नियमानुसार विक्रय की गई हैं। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.–1 ने इस प्रकरण से संबंधित D.N.J.2018(2) के पृष्ठ संख्या 726 नजीर पेश की हैं। तद्नुसार "राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में कोई त्रुटी नहीं की हैं। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.–1 ने बहस के दौरान यह भी प्रकट किया है कि विपक्षी के साथ उनकी पत्नि श्रीमती मणी को विवेचित भूमि पर संयुक्त रूप से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई हैं, किन्तु सह आवंटी श्रीमती मणी पत्नि रामजी को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बना अपीलान्ट ने भारी भूल की हैं। विवेचित भूमि आवंटी द्वारा विक्रय कर देने के उपरान्त भूमि के क्रेता श्रीमती राधा को पक्षकार नहीं बनाना विधिक त्रुटि होने से प्रार्थी की अपील निरस्त योग्य होना वकील विपक्षी ने बताया है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्राथी की अपील निरस्त कर विपक्षी को किया गया भूमि आवंटन यथावत रखने का वकील विपक्षी ने अनुरोध किया।

उपभपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को/तथ्यों पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम उपरगांव की आ0नं0 1119 में रकबा 05 बिस्वा भूमि विपक्षी एवं उसकी पत्नि श्रीमति मणी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने जरिये मिसल नंबर 2017/13 दिनांक 02.02.13 द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया। उक्त विवेचित भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन उपरान्त राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद के बाद आ.नं. 3073/1119 रकबा 05 बिस्वा कायम हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि उक्त विवेचित आराजी पर 15 वर्षो से कब्जा काश्त हैं, परन्तु विवेचित भूमि पर 15 वर्षो से कब्जा होने की पुष्टि में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जिससे उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने की पुष्टि हो सके। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में भूमि पर परकोटा निर्माण बाबत् फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं, जिससे वकील प्रार्थी ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त फोटोग्राफ विवेचित भूमि के ही हैं। विपक्षी आवंटी को भूमि आवंटन के पश्चात् तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा खातेदारी अधिकार बाद जांच भूमि आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने की पुष्टि उपरान्त प्रदत्त किये गये हैं। वकील प्रार्थी ने आवंटी विपक्षी को गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्रदान करने के तथ्यों की पुष्टि में किसी प्रकार के साक्ष्य अथवा

Scanned by CamScanner

सबूत पेश नहीं करने से तथ्य मिथ्या पाये गये। वकील प्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ निःशुल्क कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटी को भूमि का विक्रय नहीं करने के तथ्य की भी प्रामाणिकता साबित करने में असमर्थ रहे है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा उद्घोषणा जारी कर उसका प्रकाशन किया गया हैं तथा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मजमें आम में अनापत्ति होने से विपक्षी को कृषि भूमि आवंटित की गई हैं। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत विपक्षी को नियमानुसार भूमि आवंटन किया जाना पाया गया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी की पत्नि श्रीमती मणी को विवेचित भूमि का संयुक्त रूप से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया हैं, किन्तु श्रीमती मणी पत्नि रामलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। इसी तरह विपक्षी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् श्रीमती राधा पत्नि पूंजीलाल पटेल निवासी उपरगांव को विक्रय करने से श्रीमती राधा को भी पक्षकार नहीं बनाया गया जो कि आवश्यक पक्षकार हैं। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.–1 द्वारा प्रस्तुत नजीर के अनुरूप आंवटित भूमि के नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान करने के उपरान्त कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। उक्त नजीर के तथ्य आवंटी विपक्षी का समर्थन करते हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को आवंटित भूमि पर 15 वर्षो से उनका कब्जा प्रमाणित कराने आवंटी को कब्जा काश्त के अभाव में खातेदारी अधिकार प्रदान करने, पटवारी हल्का द्वारा विवेचित भूमि की गलत रिपोर्ट करने एवं भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जांच किये बगैर भूमि आवंटन करने के तथ्यों को प्रमाणित करने में विफल रहे हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के दृष्टिगत मेरा विनम्र मत है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील का प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है एवं कई आवश्यक पक्षकारों को भी प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। भूमि आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारीज की जाती हैं। निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

9/1/19

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner